राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14

<u>बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदन का आमंत्रण</u>

बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 645(1) दिनांक 21.09.2011 के आलोक में इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 के लिए शुरू होने वाले राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से कार्यरत राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के परिचारिका श्रेणी 'ए' से निम्नलिखित अर्हता के साथ आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

(i) BSC Nursing प्रशिक्षण हेतु वे परिचारिका श्रेणी 'ए' आवेदन कर सकती है जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में नियमित रूप से कार्यरत हो।

(ii) आवेदिका की सेवा प्रशिक्षण शुरू होने के पूर्व कम से कम 7 वर्ष सेवा होना अनिवार्य है यानि सेवानिवृत्ति 2020 या उनके बाद हो ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कम से कम 5 वर्ष सरकार के नर्सिंग प्रशिक्षण (ANM/GNM) स्कूल में सेवा दे सके।

(iii) डेढ़ वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त ए०एन०एम० परिचारिकायें एवं संविदा पर कार्यरत परिचारिका श्रेणी 'ए' इसके लिए योग्य नहीं मानी जाएगी तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) इच्छुक परिचारिका श्रेणी 'ए' आवेदिका का चयन उनके प्रशिक्षण काल में सभी परीक्षाओं की प्राप्त प्राप्तांक की औसत के आधार पर वरीयता क्रम के अनुसार की जाएगी। **ज्यादा अभ्यावेदन आने पर लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के वरीयता के आधार पर चयनित करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।**

(v) बी०एस०सी० प्रशिक्षण हेतु चयनित परिचारिकाओं का वेतन जो प्राप्त कर रही होगी, संस्थान से उपस्थिति के आधार पर भुगतान होता रहेगा तथा प्रशिक्षण हेतु अलग से कोई भत्ता या छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(vi) यह प्रशिक्षण आवासीय होगी।

(vil) प्रशिक्षण पर आने वाली खर्च बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(viii) प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कम से कम पॉच वर्षो तक सरकारी परिचारिका श्रेणी 'ए' अथवा ए०एन०एम० स्कूल में प्रशिक्षण का कार्य करना होगा। इस आशय का एक शपथ पत्र (नोटरी) अथवा प्रथम दंडाधिकारी से प्राप्त कर अभ्यावेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ix) प्रशिक्षण के दौरान मातृत्व अवकाश देय नहीं होगा। यदि कोई प्रशिक्षण अवधि में मातृत्व अवकाश लेती है तो उनको प्रशिक्षण में टूट मानी जाएगी।

पूर्ण आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र में कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14 के पते पर स्पीड/निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक 31.10.2011 के अपराह्न 5-00 बजे तक या उससे पूर्व निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए। डाक विलंब के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेवार नहीं होगा।

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

<u>आवेदन प्रपत्र</u>

1. नाम -
2. पदनाम -
3. पदस्थापित स्थान -
4. परिचारिका श्रेणी 'ए' के पद पर नियुक्ति की तिथि -
5. योगदान की तिथि -
6. जन्म तिथि -
7. आरोप की स्थिति -
8. आरक्षण कोटि -

आवेदक का हस्ताक्षर